N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0154   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/06/2025 18:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 12/06/2025   Date To (दिनांक तक): 14/06/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 10:15 बजे   Time To (समय तक): 17:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/06/2025   Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003   Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/06/2025 18:21:13 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 40 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): POLICE THANA KELWARA, KE PASS AAM ROAD PAR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SOHAN LAL
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** LET.BHANWAR LAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM VAGDAR/GUNDI KA BHILWARA, KUMBHALGARH, KELWARA(RAJSAMAND), RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM VAGDAR/GUNDI KA BHILWARA, KUMBHALGARH, KELWARA(RAJSAMAND), RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANAND SINGH RAWAT		पिता:RAM SINGH	1. SURESH COLONY,VIJAY NAGAR ROAD,KASBA BEAWAR,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2025 को समय 10.15 एएम पर परिवादी श्री सोहनलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति दर्जी उम्र 45 साल निवासी ग्राम वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) पुलिस थाना केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द ने उपस्थित चौकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं प्रार्थी सोहनलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति दर्जी उम्र 45 साल निवासी ग्राम वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) पुलिस थाना केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द का निवेदन इस प्रकार है कि मेरा बेटा मनीष कुमार दर्जी को केलवाडा पुलिस ने लडकी को भगाने के अपराध में दिनांक 09.06.2025 की रात को पकडकर पुलिस थाना केलवाडा ले जाकर थाने में बंद कर दिया था जिसकी जानकारी मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी ने मुझे फोन करके दी और मुझे बताया कि कल दिनांक 11.06.2025 को मै पुलिस थाना केलवाडा पर गई थी। जहां पर मुकदमें की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब ने मुझे कहा की तेरे बेटे के साथ मारपीट नही करने एवं तुझे मुल्जिम नहीं बनाने तथा मुकदमें में मदद करने की एवज में मुझे खर्चा-पानी के 30,000 रूपये अक्षरे तीस हजार रूपये रिश्वत देने के लिए कहा। मेरी पत्नी व मै श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब पुलिस थाना केलवाडा को रिश्वत के 30,000 रूपये नही देना चाहते है एवं श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। हमारी श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब से कोई पुरानी लेन-देन बकाया नही है और ना ही कोई आपसी रंजीश है। रिपोर्ट करता हुं कानुनी कार्यवाही करावें। जिस पर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मै उदयपुर में प्राईवेट कार चलाने का कार्य करता हूं। मेरी पत्नी द्वारा मुझे मोबाईल पर दी गई जानकारी अनुसार कानूनी कार्यवाही हेतु हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं तथा मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी पैरो से अपाहिज हैं जो अभी मेरे घर पर है इसलिए साथ में लेकर नही आया हूं। मेरा बेटा मनीष कुमार को केलवाडा पुलिस थाने वालों ने एक लडकी को भगाने के मुकदमें में दिनांक 09.06.2025 की रात को पकडकर पुलिस थाना केलवाडा ले गए एवं पुलिस थाने में बंद कर दिया। जब मेरी पत्नी पुलिस थाना केलवाडा पर गई थी तब मेरे पुत्र मनीष कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमें की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी श्री आनन्दसिंह एएसआई साहब ने मेरे पुत्र के साथ मारपीट नही करने एवं मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी को मुल्जिम नही बनाने तथा मुकदमें में मदद करने की एवज में खर्चा-पानी के 30,000 रूपये की रिश्वत की मांग मेरी पत्नी से की। जिसकी जानकारी मेरी पत्नी ने मुझे मोबाईल फोन से दी और श्री आनन्दसिंह एएसआई साहब के खिलाफ एसीबी में रिपोर्ट देने के लिए कहा। मैं श्री आनन्द सिंह जी एएसआई साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हुं मैं उनसे पूर्व में कई बार मिल चुका हुं। श्री आनन्द सिंह जी एएसआई साहब एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत लिये किसी का भी काम नहीं करते हैं श्री आनन्द सिंह जी एएसआई साहब मेरा विश्वास नही करेंगे इसलिए मैं उनसे वार्ता नहीं करूंगा। रिश्वत राशि की मांग हेतु श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब से आगे की वार्ता मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी ही करेगी। इस पर कानि. श्री भंवरदान नम्बर 414 को मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी के साथ पुलिस थाना केलवाडा की तरफ भिजवाया गया जिस पर कानि. श्री भंवरदान द्वारा परिवादी के साथ पुलिस थाना केलवाडा के पास पहुंच परिवादी की पत्नी से सम्पर्क कर मिला परन्तु संदिग्ध श्री आनन्द सिंह एएसआई पुलिस थाना केलवाडा पर नहीं मिलने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता नहीं हो पाई। तत्पश्चात दिनांक 13.06.2025 को कानि. श्री भंवरदान को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी से सम्पर्क कर मिलकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्रीमती तारा महिला कानि. नम्बर 259 के साथ केलवाडा की तरफ भिजवाया गया जिस पर कानि. श्री भंवरदान व श्रीमती तारा महिला कानि. द्वारा पुलिस थाना केलवाडा के पास पहुंच परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी से सम्पर्क कर मिलकर परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी की संदिग्ध श्री आनन्द सिंह एएसआई से वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। तत्पश्चात दिनांक 14.06.2025 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 13.06.2025 की रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया तथा संदिग्ध श्री आनन्दसिंह सउनि द्वारा परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान व वाहन की आवश्यकता होने से कार्यालय तहसीलदार

तहसील राजसमन्द व सचिव भूमि विकास बैंक राजसमन्द को पृथक-पृथक तहरीर जारी की गई जिस पर तहसील कार्यालय राजसमन्द से दो स्वतंत्र गवाहान श्री रोहित पालीवाल हाल-पटवारी, पटवार हल्का राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द एवं श्री सुनील कुमार हाल-कनिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय राजसमन्द तथा भूमि विकास बैंक राजसमन्द से अनुबंधित वाहन मय चालक के उपस्थित आये। दोनों गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाहीं के सम्बन्ध में समस्त हालात से अवगत कराया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 13.06.2025 को परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी एवं संदिग्ध श्री आनन्दसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी सहमति दी गई। इसके पश्चात परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी का कानि. श्री भंवरदान के मोबाईल पर कॉल आने पर कानि. श्री भंवरदान द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक की परिवादी की पत्नी से जरिए मोबाईल वार्ता करवाई गई जिसमें परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी ने बताया कि आज सुबह मेरे पास श्री आनन्द सिंह जी एएसआई साहब का मेरे मोबाईल पर कॉल आया था और उन्होंने मेरे पुत्र श्री मनीष कुमार से मिलने के लिए पुलिस थाना केलवाडा पर बुलाया था जिस पर मैं मेरे पुत्र श्री मनीष कुमार से मिलने के लिए पुलिस थाना केलवाडा पर गई तब श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब ने मुझे मेरे पुत्र से मिलवाया और रिश्वत राशि 25,000 रूपये देने के लिए कहा। इस पर मैने उनको कहा कि मुझसे अभी तक रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो पाई हैं, मैं रिश्वत राशि 25,000 रूपये की व्यवस्था कर रही हुं। इस पर उन्होने मुझसे कहा कि मैं अभी तेरे बेटे को कोर्ट में पेश करने जा रहा हुं, कोर्ट में पेश करने के बाद राजसमन्द जेल में जमा करवाकर तेरे को कॉल करूंगा तो तु रिश्वत राशि 25,000 रूपये लेकर पुलिस थाना केलवाडा पर आ जाना। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी को संदिग्ध श्री आनन्द सिंह एएसआई द्वारा रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में कॉल आने पर तुरन्त कानि. श्री भंवरदान के मोबाईल पर फोन कर सूचित करने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा साथ ही संदिग्ध श्री आनन्द सिंह एएसआई को देने हेतु रिश्वत राशि 25,000 रूपये की व्यवस्था कर अपने पति श्री सोहन लाल के साथ वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) स्थित अपने निवास स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 11.10 एएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 को उसकी निजी मोटर साईकिल से कानि. श्री भूपेन्द्र नम्बर 305 के साथ तथा श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117,, श्रीमती सीता महिला हैड कानि. नम्बर 233, श्री भंवरदान कानि. नम्बर 141, श्री यशवंत सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्रीमती तारा महिला कानि. नं. 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर.जे. 27 टी.ए. 6511 मय चालक के वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) पहुंचने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रोहित पालीवाल व श्री सुनील कुमार मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री हेमराज कानि. नम्बर 306, श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के एसीबी कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय 12.20 पीएम पर ग्राम वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) स्थित परिवादी श्री सोहन लाल के निवास स्थान पर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री सोहन लाल अपनी पत्नी श्रीमती सपना देवी के साथ पाबन्दशुदा उपस्थित मिला। परिवादी श्री सोहन लाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 13.06.2025 को मैं किसी आवश्यक कार्य से उदयपुर चला गया था। दिनांक 13.06.2025 को श्री आनन्द सिंह जी एएसआई साहब द्वारा मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये की मांग की गई थी इसके सम्बन्ध में मेरी पत्नी ने मुझे बताया था और मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी ने ही रिश्वत राशि 25,000 रूपये की व्यवस्था की हैं जो अभी उसके पास ही हैं तथा रिश्वत राशि लेनदेन हेतु श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब से आगे की वार्ता मेरी पत्नी श्रीमती सपना देवी ही करेगी। इस पर उपस्थित परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी से पूछा गया तो श्रीमती सपना देवी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पुत्र श्री मनीष कुमार को केलवाडा पुलिस द्वारा लडकी को भगाने के अपराध में दिनांक 09.06.2025 की रात को पकडकर पुलिस थाना केलवाडा ले जाकर थाने में बंद कर दिया था जिस पर मैं दिनांक 11.06.2025 को पुलिस थाना केलवाडा पर गई थी। जहां पर मुकदमें की जांच करने वाले श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब ने मेरे बेटे के साथ मारपीट नही करने, मुझे मुल्जिम नही बनाने तथा मुकदमें में मदद करने की एवज में मुझसे खर्चा-पानी के 30,000 रूपये रिश्वत देने के लिए कहा था। मैने यह बात मेरे पति श्री सोहनलाल को बताई थी और उनको एसीबी में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके बाद मेरे पति ने दिनांक 12.06.2025 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी जिसके बारे में मेरे पति ने मुझे बताया था। इसके बाद दिनांक 13.06.2025 को आपके कार्यालय से श्री भंवरदान जी केलवाडा आये थे जिन्होंने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया था। मैं थाने में गई और श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब से बात की तो उन्होने मुझे मुकदमें में मुल्जिम नही बनाने, मेरे बेटे मनीष को थाने पर अच्छा रखने एवं मुकदमें में मदद करने की एवज में मुझसे 25,000 रूपये रिश्वत राशि मांग की एवं दिनांक 14.06.2025 को मेरे बेटे मनीष को कोर्ट में पेश करने हेतु किराये की गाडी की व्यवस्था करने लिए कहा था। मैने उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में

रिकॉर्ड किया था। इसके बाद दिनांक 14.06.2025 को सुबह श्री आनन्दसिंह जी ने मुझे फोन कर मेरे बेटे से मिलने हेतु पुलिस थाना केलवाडा पर बुलाया था। मैं थाने पर गई और श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब ने मुझे मेरे पुत्र से मिलवाया और रिश्वत राशि 25,000 रूपये देने के लिए कहा था। इस पर मैने उनको कहा कि मुझसे अभी तक रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो पाई हैं, मैं रिश्वत राशि 25,000 रूपये की व्यवस्था कर रही हुं। इस पर उन्होने मुझसे कहा कि मैं अभी तेरे बेटे श्री मनीष को कोर्ट में पेश करने जा रहा हुं, कोर्ट में पेश करने के बाद राजसमन्द जेल में जमा करवाकर तेरे को कॉल करूंगा तो तु रिश्वत राशि 25,000 रूपये लेकर पुलिस थाना केलवाडा पर आ जाना। जिसके सम्बन्ध में मैने श्री भंवरदान जी के मोबाईल फोन पर कॉल कर समस्त हालात श्रीमान को निवेदन किये थे। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार व श्री रोहित पालीवाल का परिवादी श्री सोहनलाल व उसकी पत्नी श्रीमती सपना देवी से परस्पर परिचय करवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री सोहनलाल द्वारा दिनांक 12.06.2025 को ब्यूरो कार्यालय पर प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपने पास ही सुरक्षित रखा था जिसे पढकर सुनाया व पढ़ाया गया तो परिवादी श्री सोहन लाल ने स्वयं द्वारा दिनांक 12.06.2025 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार करते हुये शब्द-ब-शब्द सही होना बताया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक जानकारी व पूछताछ कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित श्रीमती सपना देवी से उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर सह परिवादीया उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई तो श्रीमती सपना देवी ने अपनी सहमति प्रकट की जिस पर परिवादी श्री सोहन लाल द्वारा दिनांक 12.06.2025 को ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पर श्रीमती सपना देवी के हस्ताक्षर करवाये गये। संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सउनि द्वारा परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादी की पत्नी को कॉल कर सूचित करने के लिए कहा गया हैं। इस हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी श्री सोहनलाल के निवास स्थान पर मुकिम हुए। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री सोहनलाल व परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा सह परिवादीया श्रीमती सपना देवी एवं संदिग्ध श्री आनन्दसिंह सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा, जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 13.06.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में सह परिवादीया श्रीमती सपना देवी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक की होने की पुष्टि की तथा परिवादी श्री सोहन लाल ने उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी पत्नी श्रीमती सपना देवी की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 03.10 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री सोहनलाल एवं उसकी पत्नी श्रीमती सपना देवी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री सोहनलाल की पत्नी श्रीमती सपना देवी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी की पत्नी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 25 नोट जिनके नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्रीमती तारा देवी म. कानि. नं. 259 के पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी में से परिवादीगण के वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) स्थित निवास पर अखबार बिछा कर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोट जो परिवादी की पत्नी द्वारा पेश किये गये जिनके दोनो ओर श्रीमती तारा देवी महिला कानि. नं. 259 से उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर निकलवाकर लगवाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल द्वारा परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी के पर्स की तलाशी लिवाई जाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी के पर्स में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा देवी म.कानि. नं. 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सरकारी वाहन स्विफ्ट कार में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री सोहनलाल एंव उसकी पत्नी श्रीमती सपना देवी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा देवी म.कानि. नं. 259 के हाथ के अंगुठो व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी, परिवादी की पत्नी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि

को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों के अंगुठो व अंगुलियों पर लग जाएगा और जब आरोपी के हाथों के अंगुठो व अंगुलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जायेगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती तारा देवी म.कानि. नं. 259 से परिवादीगण के घर के बाहर रोड के किनारे गंदे पानी की नाली में फिकवा कर अखबार जिस पर नोटो के पाउडर लगवाया गया जिसे तथा डिस्पोजल गिलास जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की गई थी जिसे भी जलवा कर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा देवी म.कानि. नं. 259 को अपने पास ही सुरक्षित अवस्था में रखने की हिदायत दी गई। इसके पश्चात ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यगण, परिवादी, परिवादी की पत्नी व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराकर परिवादी की पत्नी को यह हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुये। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी की पत्नी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करें तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर ओढी हुई साडी को हटाकर निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित कर यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को भी समझाकर स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके उपरान्त ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाकर परिवादी की पत्नी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुन समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री आनन्द सिंह से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा देवी म.कानि. नं. 259 को सिपूर्द की जाकर एसीबी कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात सह परिवादीया श्रीमती सपना देवी ने दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि अभी-अभी मेरे पास संदिग्ध श्री आनन्दसिंह जी एएसआई साहब का कॉल आया था जो मैने कॉल अटेण्ड नहीं किया जिस पर सह परिवादीया श्रीमती सपना देवी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 04.16 पी.एम. पर कॉल करवा सह परिवादीया के मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखवाकर वार्ता करवाई गई जिसमें संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ता में सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी को पुलिस थाना केलवाडा के बाहर आने के लिए कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को सह परिवादीया के पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] से सह परिवादीया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 04.18 पीएम पर कॉल आया जिस पर सह परिवादीया के मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर वार्ता करवाई गई जिसमें संदिग्ध श्री आनन्द सिंह द्वारा सहपरिवादीया के गाडी के कागजात, सहपरिवादीया के लडके का आधार कार्ड व मार्कशीट साथ में लाने के लिए कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को सह परिवादीया के पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैने मेरे लडके मनीष के आधार कार्ड व मेरी मोटरसाईकिल की आर.सी. की फोटो कॉपी मैने उनको दे दी थी। श्री आनन्द सिंह जी एएसआई साहब आधार कार्ड की कॉपी, गाडी की आर.सी. के बहाने मुझे थाने के बाहर बुलाकर मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करना चाहते हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक से वार्ता करने के लिए सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी को कहा गया तो सह परिवादीया ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पति मेरे साथ नहीं चलेंगे तथा मेरे पास केलवाडा तक जाने के लिए और कोई साधन नहीं हैं। मैं ऑटो वाले को कॉल करके बुला लेती हुं, ऑटो वाले के आने के बाद मैं, मेरे छोटे लडके व लडकी के साथ ऑटो में बैठकर केलवाडा थाना तक जाउंगी। सहपरिवादीया द्वारा कॉल करके ऑटो वाले को बुलाये जाने के पश्चात सहपरिवादीया के पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सहपरिवादीया से समय 04.31 पी.एम. पर चालु करवा अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन हेतु संदिग्ध श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक से वार्ता करने के लिए सहपरिवादीया को उसके बच्चों के साथ ऑटो में पुलिस थाना केलवाडा की तरफ रवाना करते हुए जिसके पीछे-पीछे श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 को उसकी निजी मोटर साईकिल से कानि. श्री भूपेन्द्र नम्बर 305 के साथ तथा श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117, श्रीमती सीता महिला हैड कानि. नम्बर 233, श्री भंवरदान कानि. नम्बर 414, श्री यशवंत सिंह वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री सोहनलाल मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर.जे.27 टी.ए.6511 मय चालक के तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रोहित पालीवाल व श्री सुनील कुमार मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री हेमराज कानि. नम्बर 306, श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप,

प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के परिवादी श्री सौहनलाल के वागदर (गुन्दी का भीलवाडा) स्थित निवास स्थान से रवाना हो समय 04.40 पीएम पर पुलिस थाना केलवाडा के बाहर पहुंचकर अपने-अपने वाहन, मोटरसाईकिल को साईड के खडा कर रोड किनारे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए सहपरिवादीया के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। इसके पश्चात परिवादी श्री सोहन लाल की पत्नी सपरिवादिया श्रीमती सपना देवी ने पुलिस थाना केलवाडा के सामने आम रोड पर एक व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है जिससे परिवादीया वार्ता कर रही है, परिवादीया के पुत्र व पुत्री उसके पास ही खडे है। कुछ समय बाद पुलिस की वर्दी पहना हुआ व्यक्ति पास ही स्थित श्री बोशण माता जी टी सेन्टर पर जाता हुआ नजर आता है तथा परिवादीया द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान को समय करीब 05.00 पी.एम. पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर ओढी हुई साडी को हटाकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिसे देखकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रोहित पालीवाल व श्री सुनील कुमार, परिवादी श्री सोहन लाल एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्रीमती सीता महिला हैड कानि. नम्बर 233, श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262, श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404, श्री भूपेन्द्र कानि. नम्बर 305, श्री हेमराज कानि. नं. 306 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के तेज-तेज कदमों से चलकर सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी के पास पहुंचे, इसके पश्चात सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। सपरिवादिया श्रीमती सपना देवी के कहे अनुसार सपरिवादीया के साथ मय हमराहियान के पास ही स्थित श्री बोशण माता जी टी सेन्टर पर पहुंचे। जहां पर सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी ने पुलिस की वर्दी पहने कुर्सी पर बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि यहीं श्री आनन्द सिंह एएसआई साहब हैं जिन्होंने मुझसे मेरे आधार कार्ड की छाया प्रति के अन्दर रिश्वत राशि 25,000 रूपये रखवा कर, रिश्वत राशि 25,000 रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुयी वर्दी के पेन्ट की पिछे की दाहिनी साईड की जेब में रखे है तथा आधार कार्ड की छाया प्रतिया एएसआई साहब के हाथ में ही है। जिस पर उक्त व्यक्ति का एक हाथ कानि. श्री जितेन्द्र कुमार एवं दुसरा हाथ कानि. श्री भुपेन्द्र कुमार से कलाई के उपर से पकडवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह रावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी बोरवा, पुलिस थाना बार, जिला ब्यावर हाल निवास सुरेश कॉलोनी विजय नगर रोड कस्बा ब्यावर, जिला ब्यावर हाल-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द होना बताया। मौके पर आम लोगों की भीड़ भाड़ की स्थिति के मध्य नजर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी को यथा स्थिति में श्री बोशण माता जी टी सेन्टर से रवाना हो पास ही स्थित पुलिस थाना केलवाडा के लिए मय ब्यूरो जाब्ता मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, मय परिवादी श्री सोहन लाल, सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी व उनके बच्चे मय वाहनों के समय 05.04 पीएम पर पुलिस थाना केलवाडा पहुचे, जहां पर संतरी आशा म. कानि. नं. 1187 उप. मिली, जिसे अपना परिचय देकर थानाधिकारी कक्ष खुलवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक को सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी को पुलिस थाना में बुलाये जाने के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि मैं श्रीमती सपना देवी को जानता हुं, श्रीमती सपना देवी के पुत्र श्री मनीष कुमार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज है, मैने श्री मनीष कुमार को गिरफ्तार किया जिसे आज ही जे. सी. करा कर आया हूं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से पुछा तो श्रीमती सपना देवी ने कहा कि सर ने मुझे बोला की आप भी मुलजिम हो, मैंने बोला मेरे छोटे बच्चे है, मुझे कोन छुडायेगा, सर ने कहा 30,000 रूपये दो, मैंने कहा 30,000 रूपये कहां से लाउ, तो कहा 25,000 रूपये दे दो, सर ने कहा आधार कार्ड की छाया प्रति में डाल कर दे दो। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक को कहा कि पैसे कहा है, तो सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि श्री आनन्द सिंह एएसआई साहब द्वारा रिश्वत राशि 25,000 रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की साईड की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल से आरोपी श्री आनन्द सिंह की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की साईड की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब से 500-500 रूपये के अलग-अलग कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल से गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट राशि 25,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गये 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0LH779716 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3VG730721 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NU888144 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9QU502434 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3HV804651 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8HA777882 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7UL379347 8 . 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1RM431584 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4BM992680 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7WL786505 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2GA712977 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FM181596

13 . 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8MT491313 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1TW506460 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6UD209937 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6BC798865 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2CH853589 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PK566976 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0KS951920 20 . 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5WQ182484 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7CU249845 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5AK357975 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8FG112833 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1AK763685 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4KD064506 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5HV758703 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0LE847427 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0KL013635 29. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6EC058626 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0WF683501 31. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3TS777090 32. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7FV867844 33. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6US610237 34. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9EN371620 35. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4AU587058 36. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NM355997 37. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4LE663260 38. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1GR616657 39. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7KL117466 40. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8DU102659 41. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1QH957056 42. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DL314034 43. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1KN 516942 44. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8QE715768 45. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5QH800587 46. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4NB232004 47. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5VS823630 48. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8LG968486 49. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4MM301628 50. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9VG582341 उपरोक्त बरामद षुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट राशि 25,000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत कर सम्भलाई गई एवं इसके अतिरिक्त मिले 500-500 रूपये के नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल से गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये होना बताया। इसके बारे में मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आरोपी श्री आनन्द सिंह से पुछा तो श्री आनन्द सिंह ने उक्त 5,000 रूपये अपने खर्चे के होना बताया, जिस पर उक्त 5,000 रूपये एवं आरोपी की कलाई पर बन्धी हुयी घडी को आरोपी के वारिसान के उपस्थित आने पर लोटायी जायेगी। आरोपी श्री आनन्द सिंह ने परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष स्वत ही मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैंने श्रीमती सपना देवी से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की। इस पर उपस्थित सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्री आनन्द सिंह एएसआई साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरे से दिनांक 11.06.2025 को मेरे पुत्र मनीष के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मनीष के साथ मारपीट नहीं करने, मुकदमे में मेरी मदद करने एवं मुझे उक्त मुकदमें में आरोपिया नहीं बनाने की एवज में 30,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। तथा दिनांक 13.06.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान मेरे द्वारा राशि कम करने की कहने पर एएसआई साहब ने 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर आज दिनांक 14.06.2025 को आरोपी के कहे अनुसार मैं पुलिस थाना केलवाडा के बाहर पहुंच, मैंने एएसआई साहब से फोन पर बात की। जिस पर एएसआई साहब पुलिस थाना केलवाडा से बाहर आम रोड पर आये, जिस पर एएसआई साहब की मांग अनुसार मैं रिश्वत राशि 25,000 रूपये देने लगी तो एएसआई साहब ने कहा कि 25,000 रूपये आधार कार्ड के अन्दर रख कर दे, जिस पर मैने रिश्वत राशि 25,000 रूपये मेरे आधार कार्ड की छाया प्रति के अन्दर रख कर एएसआई साहब को दिये, एएसआई साहब ने आधार कार्ड की छाया प्रति से रूपये निकाल पर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुयी वर्दी की पिछे की साईड की दाहिनी जेब में रख लिए तथा आधार कार्ड की छाया प्रति एएसआई साहब के हाथ में ही है। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस उप अधीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी, सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी व दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री आनन्द सिंह के समक्ष चालू कर आज दिनांक 14.06.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी श्री आनन्द सिंह द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से वार्ता होना स्वीकार किया। उक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जावेगी। इसके उपरांत मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 13.06.2025 को सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी व आरोपी श्री आनन्द सिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर आरोपी श्री आनन्द सिंह को मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व श्रीमती सपना देवी से वार्ता होना स्वीकार किया तथा आरोपी श्री आनन्द सिंह को उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये की मांग करने एवं मांग के अनुषरण में आज दिनांक 14.06.2025 को रिश्वत राशि 25,000 रूपये ग्रहण करने के सम्बन्ध में आरोपी श्री आनन्द सिंह से पूछा गया तो आरोपी ने अपना सिर झुका कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को कहा कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा, आप मेरी मदद करना। चूकिं आरोपी श्री आनन्द सिंह द्वारा परिवादीया से रिश्वत राशि 25,000 रूपये अपने

दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की साईड की दाहिनी जेब में रखे हैं इस हेतु आरोपी के दोनों हाथों का धोवण एवं पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की साईड की दाहिनी जेब का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 से सरकारी वाहन स्विफ्ट कार में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की साईड की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि 25,000 रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट व शर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी के लॉवर एवं टी शर्ट मंगवाकर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री गोवन्द नारायण हैड कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धौवण के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1व P-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात उक्त खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात आरोपी द्वारा रिश्वत राशि सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति में रखवा कर ग्रहण किए जाने से उक्त आधार कार्ड की छाया प्रति का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के श्री गोवन्द नारायण हैड कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में रूई के फोए को गिलाकर उक्त आधार कार्ड की छाया प्रति पर उक्त रूई के फोए को घुमा कर, उक्त घोल में रूई के फोए को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त धौवण के घोल का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमैला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क A-1व A-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी प्रकार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति में रखवा कर ग्रहण किए जाने से आधार कार्ड की छाया प्रति को एक प्लास्टिक कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रख, सिलचिट कर मार्क A अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट राशि 25,000 रूपये जो आरोपी की पहनी हुई खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री रोहित पालीवाल द्वारा पेष किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट राशि 25,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री आनन्द सिंह को परिवादी श्री सोहन लाल के पुत्र श्री मनीष के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली मय इंसदादी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री आनन्द सिंह ने प्र.सं. 96/2025 की पत्रावली अनुसंधान कक्ष में होना बताया। जिस पर श्री रामभरोसे स.उ.नि. को थानाधिकारी कक्ष में तलब कर जरिए तहरीर क्रमांक एसपीएल-1 दिनांक 14.06.2025 दी जाकर प्र.सं. 96/2025 की पत्रावली मय इंसदादी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित पत्रावली पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर श्री रामभरोसे स.उ.नि. ने प्र.सं.96/2025 धारा 137 (2), 95, 115(2) बीएनएस की पत्रावली एवं ईस्तगासा नं. 69/25

धारा 126-170 दिनांक 11.06.2025 की प्रमाणित प्रतियां पेज संख्या 01 से 62 तक पेश की। जिसका अवलोकन किया तो पाया गया कि ईस्तगासा नं0 69/25 धारा 126-170 बीएनएसएस दिनांक 11.06.2025 को श्री मनीष पिता सोहनलाल को श्रीमान उपखण्ड मजि., कुम्भलगढ जिला राजसमन्द के समक्ष गिरफ्तार कर पेश किया गया। तथा प्र.सं. 96/2025 विरूद्ध श्री मनीष कुमार पिता सोहनलाल का दिनांक 14.06.2025 से 15 योम जे/सी रिमाण्ड स्वीकृत फरमाने बाबत माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जे/सी आदेष होने से श्री मनीष कुमार को जिला कारागृह राजसमन्द जमा करवाया जाना पाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। फर्द नक्षा मौका घटनास्थल एवं आरोपी श्री आनन्द सिंह के थाना परिसर में स्थित सरकारी कमरे की खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियां से पाया गया कि आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री सोहन लाल के पुत्र श्री मनीष के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 96/2025 में सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी को मुलजिम नहीं बनाने, परिवादी के पुत्र मनीष के साथ मारपीट नहीं करने एवं उक्त प्रकरण में मदद करने की एवज में दिनांक 13-06-2025 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में आज दिनांक 14.06.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये श्रीमती सपना देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति में रखवाकर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की साईड की दाहिनी जेब में रखे, जहां से उक्त रिश्वत राशि 25,000 रूपये दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी श्री आनन्द सिंह द्वारा सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत आरोपी के दोनों हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं आरोपी की पहनी हुई खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब के धोवण का रंग गुलाबी होना तथा सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति के धोवण का रंग मटमैला पाया जाने पर आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह रावत, उम्र-50 वर्ष, निवासी-बोरवा, पुलिस थाना बार, जिला ब्यावर हाल निवास सुरेश कॉलोनी विजय नगर रोड कस्बा ब्यावर, जिला ब्यावर हाल-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया तथा फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर पुलिस थाना केलवाडा पर समय करीब 06.55 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त बरामदगी श्रीमती सीता हैड कानि. नम्बर 233 से टाईप करवाई गई तथा उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात श्री हेमराज कानि. द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक के पुलिस थाना केलवाडा परिसर में स्थित सरकारी कमरे की खाना तलाशी ली जानी हैं इस हेतु श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) जो पूर्व में श्री हेमराज कानि. को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर आरोपी श्री आनन्द सिंह के सरकारी कमरे की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन से वीडियोग्राफी करने एवं वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) में रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया जाकर पुलिस थाना केलवाडा परिसर में स्थित आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक के सरकारी कमरे की खाना तलाशी लेने हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री रोहित पालीवाल मय आरोपी श्री आनन्द सिंह मय ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के पुलिस थाना केलवाडा परिसर में स्थित आरोपी के सरकारी कमरे पर पहुंचकर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर बाद खाना तलाशी के मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी श्री आनन्द सिंह के पुलिस थाना केलवाडा पर उपस्थित आये तथा श्री हेमराज कानि. द्वारा आरोपी के सरकारी कमरे की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात समय 07.45 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री रोहित पालीवाल, परिवादी श्री सोहनलाल, परिवादी की पत्नी श्रीमती सपना देवी एवं आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा सह परिवादीया

श्रीमती सपना देवी एवं संदिग्ध श्री आनन्दसिंह सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा, जिला राजसमन्द के मध्य आज दिनांक 14.06.2025 को हुई मोबाईल वार्ताए (02 वार्ताए) एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता (01 वार्ता) जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ताओं को चलाकर सुना जाकर उपरोक्त वार्ताओं की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में सह परिवादीया श्रीमती सपना देवी ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक की होने की पुष्टि की तथा परिवादी श्री सोहन लाल ने उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज अपनी पत्नी श्रीमती सपना देवी की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक की होने की पुष्टि की तथा श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक ने भी उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.06.2025 को डीवीआर समय 06.00 पीएम पर डीवीआर सहवन से चालू होने से मूल मेमोरी कार्ड में ऑडियो फाईल रिकॉर्ड हुई हैं जिसकी ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब नहीं की गई। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 10.00 पीएम पर आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह, जाति-रावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी बोरवा, पुलिस थाना बार, जिला ब्यावर, हाल निवास सुरेश कॉलोनी, विजय नगर रोड, कस्बा ब्यावर जिला ब्यावर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35(B) (ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती रीना कंवर को नियमानुसार दी जाकर शामील पत्रावली की गई। इसके पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री आनन्द सिंह सउनि की जामा तलाशी के दौरान मिले 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये एवं आरोपी की बांये हाथ की कलाई पर पहनी हुई घडी आरोपी श्री आनन्द सिंह के कहे अनुसार उसकी पत्नी श्रीमती रीना कंवर को लौटाई गई। इसके पश्चात आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के मोबाईल फोन की कार्यवाही में आवश्यकता होने से आरोपी के बताये अनुसार आरोपी के उक्त मोबाईल फोन वीवो कम्पनी को जप्त कर फर्द जप्ती पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार रिश्वत राशि की बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 मॉडल -SM- G556B) से उक्त रिश्वत राशि की बरामगदी की वीडियोग्राफी श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा की जाकर वीडियों को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) में रिकॉर्ड किया गया था जो रिश्वत राशि बरामगदी की कार्यवाही के पश्चात श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया था जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा था। मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय के श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 द्वारा उक्त मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) को जरिए अडेप्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव Master P-25 16GB (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी किया जाकर उक्त रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों की तीन डब कॉपी (न्यायालय हेतु मूल पेनड्राईव/आरोपी हेतु डब पेनड्राईव/एक पेनड्राईव आईओ हेतु) तैयार की गई। मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री आनन्द सिंह के सरकारी कमरे की खाना तलाशी.की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 मॉडल -SM- G556B) से उक्त खाना तलाशी की वीडियोग्राफी श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा की जाकर वीडियों को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) में रिकॉर्ड किया गया था जो खाना तलाशी की कार्यवाही के पश्चात श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया था जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा था। मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय के श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 द्वारा उक्त मूल मेमोरी कार्ड (geonix 32 GB Micro SD XC) को जरिए अडेप्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा खाना तलाशी के वीडियों को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव Master P-25 16GB (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी किया जाकर उक्त खाना तलाशी के वीडियों की तीन डब कॉपी (न्यायालय हेतु मूल पेनड्राईव/आरोपी हेतु डब पेनड्राईव/एक पेनड्राईव आईओ हेतु) तैयार की गई। मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में

रखकर सिलचिट कर PD-1 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 15.06.2025 को समय 12.40 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 13.06.2025 को सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी एवं आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 14.06.2025 को सहपरिवादीया एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताए/रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता जो कि उक्त समस्त वार्ताऐं कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी में रिकॉर्ड किया गया था जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगा हुआ को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 से ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव Master P-25 16GB (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी किया जाकर रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की तीन डब कॉपी (न्यायालय हेतु मूल पेनड्राईव/आरोपी हेतु डब पेनड्राईव/एक पेनड्राईव आईओ हेतु) तैयार की गई। मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर PD-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, सहपरिवादीया के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन में लगे हुए ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC में रिकॉर्ड गई की थी जो मूल ही मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को जरिए अडेप्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय हाजा के लेपटॉप में पहले से ही लाईसेन्स शुदा एंटी वायरस (नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्युरिटी) इन्सटॉल्ड हैं जिसके द्वारा उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड को स्कैन किया गया जिसमें किसी भी प्रकार का वायरस/मेल वायरस नहीं मिला तथा उक्त मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, सहपरिवादीया के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के सरकारी कमरे की खाना तलाशी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि. नम्बर 306 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन में लगे हुए ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC में रिकॉर्ड गई की थी जो मूल ही मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को जरिए अडेप्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय हाजा के लेपटॉप में पहले से ही लाईसेन्स शुदा एंटी वायरस (नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्युरिटी) इन्सटॉल्ड हैं जिसके द्वारा उक्त खाना तलाशी की वीडियोग्राफी में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड को स्कैन किया गया जिसमें किसी भी प्रकार का वायरस/मेल वायरस नहीं मिला तथा उक्त मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M-1अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, सहपरिवादीया के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 13.06.2025 को सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी एवं आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 14.06.2025 को सहपरिवादीया एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताए/रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता जो ब्यूरो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं की हैश वैल्यू कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय हाजा के लेपटॉप में पहले से ही लाईसेन्स शुदा एंटी वायरस (नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्युरिटी) इन्सटॉल्ड हैं जिसके द्वारा उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को स्कैन किया गया जिसमें किसी भी प्रकार का वायरस/मेल वायरस नहीं मिला। दिनांक 13.06.2025 को सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी एवं आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 14.06.2025 को सहपरिवादीया एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताए/रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता के उक्त मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क-M-2 अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के परिवादी श्री सोहनलाल, सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री रोहित पालीवाल के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को नष्ट किया जाकर पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के बाहर कुछ दुरी पर गंदे पानी की नाली में फिकवाई गई। फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधितों के

हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 08.10 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता कानि. श्री भंवरदान नम्बर 414 मय परिवादी श्री सोहन लाल, सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी के साथ फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब करने हेतु पुलिस थाना केलवाडा के पास ही स्थित घटनास्थल की तरफ पैदल-पैदल रवाना हो घटनास्थल पहुंच उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद फारिक मय हमराहियान के रवाना पुलिस थाना केलवाडा पर उपस्थित आये। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सोहन लाल एवं परिवादी की पत्नी सहपरिवादीया श्रीमती सपना देवी को बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके पश्चात चिकित्साधिकारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाडा जिला राजसमन्द से आरोपी श्री आनन्द सिंह का मेडिकल मुआयना करा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री आनन्द सिंह मय जब्तशुदा समस्त मालखाना आर्टिकल्स मय सरकारी वाहन/अनुबंधित वाहन/मोटरसाईकिल के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनों से पुलिस थाना केलवाडा से रवाना हो रवाना हो एसीबी चौकी राजसमन्द पहुंच दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन मय चालक को रूखसत कर आरोपी श्री आनन्द सिंह सउनि को न्यायाधीश महोदय के निवास पर पेश कर आरोपी श्री आनन्द सिंह सउनि को जिला कारागृह राजसमन्द में जमा करवाया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो से पाया गया कि आरोपी श्री आनन्द सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री सोहन लाल के पुत्र श्री मनीष के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 96/2025 में सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी को मुल्जिम नहीं बनाने, परिवादी के पुत्र मनीष के साथ मारपीट नहीं करने एवं उक्त प्रकरण में मदद करने की एवज में दिनांक 13.06.2025 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 14.06.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये श्रीमती सपना देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति में रखवाकर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखे, जहां से उक्त रिश्वत राशि 25,000 रूपये दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी श्री आनन्द सिंह द्वारा सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी से रिश्वत राशि 25,000 रूपये ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत आरोपी के दोनों हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं आरोपी की पहनी हुई खाकी रंग की वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब के धोवण का रंग गुलाबी होना तथा सपरिवादीया श्रीमती सपना देवी के आधार कार्ड की छाया प्रति के धोवण का रंग मटमैला पाया जाने पर आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह रावत, उम्र 50 वर्ष निवासी-बोरवा, पुलिस थाना बार, जिला ब्यावर हाल निवास सुरेश कॉलोनी विजय नगर रोड कस्बा ब्यावर, जिला ब्यावर हाल-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री आनन्द सिंह के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र. नि. ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (रतन सिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह, जाति-रावत, उम्र-50 वर्ष, निवासी बोरवा, पुलिस थाना बार, जिला ब्यावर, हाल निवास सुरेश कॉलोनी, विजय नगर रोड, कस्बा ब्यावर जिला ब्यावर हाल-सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अन्तत कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 890 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 891-94 दिनांक 17-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- पुलिस अधीक्षक जिला राजसमंद। 4 -अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):**
(जाँच अधिकारी का नाम): ANANT KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/06/2025 18:2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/07/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)